संख्या-23/2018/एस-2-564/दस-2018-33(108)2013

सेवा में,

संजय गोयल,
विशेष सचिव,
वित्त विभाग,

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार निदेशालय,
उ0प्र लखनऊ।

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनाँक- 04 अप्रैल,2018

विषय- कार्यालय स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0 शासन नई दिल्ली में अपर स्थानिक आयुक्त (वित्त) के सृजित पद को समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

स्थानिक आयुक्त, कार्यालय नई दिल्ली में वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-एस-2-7136/दस-2013-33(108)/2013, दिनांक 26-11-2013 द्वारा ग्रेड पे 8900 में अपर स्थानिक आयुक्त (वित्त), का एक पद अस्थायी रूप से सृजित किया गया था। उक्त पद की निरन्तरता वर्षानुवर्ष बढ़ायी जाती रही है। अन्तिम बार इस पद की निरन्तरता शासनादेश संख्या-एस-2-450/दस-2018-33(108)/2013,दिनाँक 28-2-2019 तक बढ़ायी गयी है।

2- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-162/आर0सी0/यू0 पी0/2018, दिनाँक 09 मार्च, 2018 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि शासन के आदेश संख्या-4007/32-03-2017, दिनाँक 14-8-2017 द्वारा यू0पी0 सदन/यू0पी0 भवन का नियंत्रण स्थानिक आयुक्त, कार्यालय के अन्तर्गत आने से इस कार्यालय का कार्यभार बढ़ गया है, प्रोटोकाल, भारत सरकार की बैठकों में प्रतिभाग करने एवं कार्यालय के अन्य महत्वपूर्ण प्रशासकीय कार्यो के दृष्टिगत स्थानिक आयुक्त कार्यालय में पी0सी0एस0 अधिकारी की आवश्यकता है। अतएव अपर स्थानिक आयुक्त (वित्त) के पद को समाप्त करते हुए पी0सी0एस0 अधिकारी की तैनाती का अनुरोध नियुक्ति विभाग से किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में अपर स्थानिक आयुक्त (वित्त) के पद की उपयोगिता समाप्त होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-एस-2-7136/दस-2013-33(108)/2013, दिनांक 26-11-2013 द्वारा सृजित अपर स्थानिक आयुक्त (वित्त) ग्रेड वेतन रू0 8900 के पद को तत्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

[redacted]

भवदीय,

संजय गोयल
विशेष सचिव।

संख्या-23/2018/एस-2-564(1)/दस-2018-33(108)2013, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- स्थानिक आयुक्त, कार्यालय उ0प्र0 शासन एन0बी0सी0सी0प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग,नई दिल्ली-110003

5- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

8- मुख्य भुगतान एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।